

जीएसटी का भारतीय अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव

डा० भारती कुमारी असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र ए.ब.ज. महाविद्यालय खजौली, मधुबनी

DECLARATION:: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THIS JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN PREPARED PAPER.. I HAVE CHECKED MY PAPER THROUGH MY GUIDE/SUPERVISOR/EXPERT AND IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/PLAGIARISM/OTHER REAL AUTHOR ARISE, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. . IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL..

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

जीएसटी भारत में, एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कार की धारण तक स्थापित सबसे बड़ा कर सुधार आखिरी का यहाँ हैं। जिस का भारत सरकार को एक दशक से इंतजार था वह आखिरीकार आ गया हैं। एकल सबसे अप्रत्यक्ष कर शासन न व्यापार के संबंध में सभी अंतर राज्य में बधाइयों को समाप्त करते हुए लागू किया है एक ही झटके के साथ जीएसटी रौल आउट ने भारत को 1.3 बिलियन नागरिकों को एकीकृत बाजार में बदल दिया हैं। मूल रूप से, 2.4 टिलियन के अर्थ व्यवस्था आंतरिक टैरिफ बधाइयों को दूर करके और केन्द्रीय, राज्य और स्थानीयों को एकीकृत जीएसटी में शामिल करके खूद बदलने का प्रयास कर रही हैं। रोलआउट ने भारत ने राज्य कोशिय सुधार कार्यक्रम की उमिद फिर से बढाया है। और अर्थव्यवस्था को व्यापिक बनाया है फिर, वहाँ बिघ टन की आकांश हैं, जो एक कथित संक्रमण



के रूप में माना जाता हैं जो देश के हितों की सहायता नहीं कर सकता हैं क्योंकि अनिश्चितां से अधिक होने वाली आशाओं से तय होगा कि हमार सरकार जीएसटी को अच्छा और सरल कर बनाने कि दिशा में कैसे काम करती है 29 राज्यों और 7 केन्द्रोंशासित प्रदेशों में देशभर में जीएसटी लागू करने के पिछे यह विचार हैं कि यह सभी के लिए एक जीत की स्थित पशकश करेगा कम टैक्स फाइलिंग, प्रदेशो नियमों और आशान बही खाता पद्धति से निर्माताओं और व्यापारियों को फायदा होगा उपभोक्ताओं को वस्तुएं और सेवाओं के लिए काम भूगतान करना होगा, और सरकार अधिक राज्य स्वाउत्पन करेगी। क्योंकि राज्य स्वालिक को प्लग किया जायेगा। जमीनी हिककत, जैसा कि हम सभी जानते है, बदलतो है तो, जीएसटी ने भारत को वास्तव में कैसे प्रभावित किया हैं। चलो एक नजर डालते है।

जीएसटीः अल्प कालिक प्रभाव

उपभोक्ताओं के दृष्ट्रिकोण से, अब वे उपभोग कि जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक कर का भूगतान रोजमरा के उपभोगियों वस्तुओं का अधिकांश हीसाब समान या



थोड़ा अधिक कर कि दर को आकर्षित करता हैं इसके अलावा, जीएसटी कार्यान्वयन में इसके अनुपालन कि लगता है ऐसे लगता है कि अनुपालनिक यह लगता छोटे पैमाने के निर्माताओं और व्यापारियों के लिए निषेधात्मक और उच्च होगी जिन्हानें इसके खिलाफ भी विरोध किया है वे उच्च दर पर अपना माल को मूल्य निर्धन कर सकते हैं

भविष्य

ल्बी अवधि के लाभों के बारे में बात करते हुए, यही उम्मीद की जाती है कि जीएसटी का मतलब केवल करों कि कम दर नहीं होगा, बालिक न्यूनतम कर से लाभ भी होगा जीन देशों में गूड्स एंड सर्विस टैक्स ने अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद कि है, वेकेवल 2 या 3 दरों पर लागू होता है— एक मतलबदर, आवश्यक वस्तुओं के लिए कम दर और सनादार वस्तुओं के लिए उच्च कर दर वर्तमान में, भारत में, हमारे पास 5 स्लैब हैं जिनमें 3 दरें हैं— एक एकिकृत दर, एक केन्द्रीय दर और एक राज्य दर इनके अतिरिक्त उपकार भी लगाया जाता हैं राजस्व कम होने का डर ने सरकार को कम या कम दरों पर जुए से दूर रखा यह बहुत जल्द



ही कभी भी शिफ्ट देखने की सभावना नही है हांलािक सरकार ने कहां है कि आरएनआर (राजस्व तटस्थ दर) तक पहुँचने के बाद दरों में फिर से बदलाव हो सकता हैं।

निष्कर्ष

प्राथमिकता के आधार पर, यह सरकार पर, निर्भर है कि छोटे बड़े निर्माताओं और व्यापारियों जैसे कम संपन प्रतिभागियों के बिच छमता निर्मान को संबोधित करे। समग्र अनुपालन लगता को कम करने के लिए तरिके खोजने पड़ते है। और आम जनता कि भलाई आवश्यक बदलाव करने पड सकते हैं। जीएसटी अच्छा और सरल बनेगा, तभी पूरा देश इसे सफल बनाने कि दि शा में काम करेगा।

संदर्भ :

- 1 गुप्त, संजय, दैनिक जागरण, 2 जुलाई 2017, नई दिल्ली
- 2 गुप्ता, एच.एन. (2017) ने"वस्तु एवं सेवाकर : विधि एवं नियम", श्रृखला एक भोध परक वैचारिक पत्रिका, भोल्यूम—3, नवम्बर

- 3 गुप्ता, एच.एन. गुप्ता (2017) "भारतीय अर्थव्यवस्था पर जी.एस. टी. का प्रभाव, रिमार्किंग एन एनालाइसिस, भोल्यूम—2, नं0 8, नवम्बर
- 4 पटवर्धन, गोविंद (2017), ऐसा है जीएसटी कायदा, सकल प्रका ान, पृ० 68
- 5 प्रजापति, जयप्रका ा (2017) "लघु उद्योग और वस्तु एवं सेवाकर : सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ" , जर्नल ऑफ मार्डर्न मैनेजमेन्ट एण्ड इन्टरप्रेनेउरि ।प (जेएमएमई), भोल्यूम–7, नं0–4, अक्टूबर, पृ0 313–318
